

रीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 378/2019 अनवान हनुमानराम बनाम मेघाराम

नम्बर व
तारीखअहकाम जो
इस हुकम की
तामील मे जारी
हुए

18/02/21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपरिथत। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 216/15 रकबा 16.12 बीघा, खसरा संख्या 219/22 रकबा 130.05 बीघा, खसरा संख्या 221/25 रकबा 07.01 बीघा व खसरा संख्या 223/84 रकबा 201.12 बीघा कुल रकबा 355.10 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 216/15 रकबा 16.12 बीघा, खसरा संख्या 219/22 रकबा 130.05 बीघा, खसरा संख्या 221/25 रकबा 07.01 बीघा व खसरा संख्या 223/84 रकबा 201.12 बीघा कुल रकबा 355.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पत्रावली रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जज अधिकारी

बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक - 18.02.21

क्रमांक रीडर/2021/309

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हनुमानराम 2 जेठाराम 3 मेहराराम
पिसरान किस्तुराराम 4 रूगाराम पुत्र
खेताराम 5 पेम्पो देवी पत्नी किस्तुराराम
जाति जाट निवासी फूसाणियों का तला
(जाखड़ों की ढाणी) तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 मेघाराम पुत्र आईदानराम 2 लाखाराम पुत्र
भैराराम 3 पनाराम पुत्र सोनाराम 4 विरधाराम
पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी फूसाणियों का
तला (जाखड़ों की ढाणी) तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 378/2019

दिनांक- 18/02/21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 216/15 रकबा 16.12 बीघा, खसरा संख्या 219/22 रकबा 130.05 बीघा, खसरा संख्या 221/25 रकबा 07.01 बीघा व खसरा संख्या 223/84 रकबा 201.12 बीघा कुल रकबा 355.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2021/310-13

दिनांक- 18.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हनुमानराम पुत्र किस्तुराराम वगैराह जाति जाट निवासी फूसाणियों का तला (जाखड़ों की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मेघाराम पुत्र आईदानराम वगैराह जाति जाट निवासी फूसाणियों का तला (जाखड़ों की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर